



सीजेपी प्रदर्शन...सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो सेवाएं सामान्य रखने को कहा...इंटरनेट बहाली-बंद स्टेशनों पर मांगा जवाब

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर 2026। दिल्ली में सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई के दौरान कई अहम निर्देश जारी किए। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन का पीठ ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के बिना हिंसात्मक नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने मेट्रो और रेलवे सेवाओं को सामान्य करने, इंटरनेट बहाल रखने तथा नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं से संबंधित आदेशों के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। यह याचिका सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान परिवहन सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित है।

इंटरनेट बहाली पर अदालत की दिशा

सुनवाई के दौरान दिल्ली में इंटरनेट सेवाओं का मुद्दा भी उठा। पीठ ने शहर में इंटरनेट सुविधा बहाल करने की बात कही। इस पर सालिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि इंटरनेट सेवाएं पिछली रात से ही बहाल हैं। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेने की बात कही। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि वरिष्ठ अधिकवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों की हिरासत के साथ-साथ मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी



13 अक्टूबर को लेगी संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और अन्य संबंधित मामलों को मुख्य मामलों के साथ 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ ने सविधान के अनुच्छेद 32 का भी उल्लेख किया, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उसका संवैधानिक दायित्व है।

सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया, जिसमें इंटरनेट प्रतिबंधों से संबंधित कानूनी सिद्धांतों पर विचार किया गया था।

प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कार्रवाई पर वरिष्ठ वकीलों ने उठाए सवाल : सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकवक्ता शहदान फरासत ने प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर घसीटकर बसों में बैठाने और कुछ

लोगों को बसों से बाहर फेंके जाने के आरोपों का मुद्दा उठाया। मीडिया में सामने आए कुछ दृश्यों में फरासत को भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिरासत में लेते हुए देखा गया था। वहीं, वरिष्ठ अधिकवक्ता एन. हरिहरन ने नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही पर लगी पाबंदियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि नागरिकों के लिए शहर में स्वतंत्र रूप से

पूरी दिल्ली से बैरिकेड्स हटाए जाएं...

सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान पूरी दिल्ली से बैरिकेड्स हटाने और नागरिकों की आवाजाही सामान्य करने की मांग की गई। वकीलों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और हाई कोर्ट तक पहुंचने में भी बाधाएं आ रही हैं। अधिकवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भगवान दास रोड पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने से संबंधित बोर्ड का जिक्र किया। वहीं, वरिष्ठ अधिकवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रतिबंधात्मक आदेशों के दायरे को सीमित करने की मांग रखी।

आना-जाना मुश्किल हो गया है। इन दलीलों के माध्यम से अदालत के सामने पुलिस की कार्रवाई, हिरासत की प्रक्रिया और आम नागरिकों की आवाजाही से जुड़े सवाल रखे गए। ये आरोप और दलीलें सुनवाई के दौरान संबंधित वकीलों की ओर से प्रस्तुत की गईं। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि शुरुआत में 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का प्रस्ताव था, लेकिन अदालत ने आदेश के बाद यह संख्या 47 रह गई। पीठ ने अधिकारियों से इन सभी 47 स्टेशनों की स्थिति स्पष्ट करने और जवाब के साथ नक्शा दाखिल करने को कहा।

पूनमल्ली-वडापलानी मेट्रो रेल सेवा शुरू, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय ने साथ में यात्रा की...

तमिलनाडु में नए भारत की झलक दिखती है : पीएम मोदी



चेन्नई, 11 अक्टूबर 2026। पीएम मोदी ने चेन्नई में कहा कि मंदिरों से लेकर मेट्रो तक तमिलनाडु में नए भारत की झलक दिखती है। भारत अपनी सांस्कृतिक ताकत से प्रेरणा लेता है, वैज्ञानिक प्रगति के जरिए आगे बढ़ता है। मोदी ने चेन्नई मेट्रो के फेज-2 प्रोजेक्ट के 14.6 किमी लंबे पूनमल्ली-वडापलानी रूट का उद्घाटन भी किया। इसके बाद पीएम ने खुद ट्रेन में यात्रा की, इस दौरान तमिलनाडु के सीएम विजय भी उनके साथ मौजूद थे। 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद यह पीएम मोदी का पहला चेन्नई दौरा है। मोदी बोले...देश मजबूत हो, इसलिए राज्यों का मजबूत होना जरूरी पीएम मोदी ने कहा- देश को मजबूत बनाने के लिए राज्यों

को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियान से तमिलनाडु को भी फायदा हो रहा है।

तमिलनाडु में सरकारें बदलती रहें, मेरा सेवा का संकल्प जारी रहा : पीएम मोदी ने कहा...मुख्यमंत्री के रूप में मुझे करुणानिधि और जयललिता के साथ कई बार बातचीत करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जयललिता, ओ. पन्नीरसेल्वम, ई. पलानीस्वामी और एम.के. स्टालिन के साथ काम करने का अवसर मिला।



मोदी बोले...आपके एयर से सरकार प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे... मोदी बोले...कुछ दिन पहले ही, आपके आशीर्वाद और देश की जनता के ध्वा से मैंने सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। अक्टूबर 2001 में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से देश की जनता ने मुझे पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया।

मोदी बोले...तमिलनाडु के लिए एक ऐतिहासिक दिन है... पीएम मोदी ने कहा...आज तमिलनाडु के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं। हम कई पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और नई परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बनाएंगी, जबकि कुछ उद्योग और व्यापार को मजबूती देंगी। ये सभी मिलकर पूरे तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।

मणिपुर में नगा-कुकी झड़पों में 9 लोगों की मौत, कई घर और दुकानें फूँकी गईं



इंफाल, 11 अक्टूबर 2026। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। कामजोंग, कांगपोकपी और उखरल जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान नगा और कुकी समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। हिंसा के दौरान कामजोंग जिले में कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने चासाद पुलिस थाने के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। वहीं, कुकी संगठनों ने कांगपोकपी जिले में बंद का आह्वान किया है। रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा की शुरुआत नगा बहुल कामजोंग जिले के कुकी बहुल चासाद गांव में 42 वर्षीय महिला की मौत के बाद हुई। शुक्रवार रात सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान महिला को गोली लग गई थी। बाद में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और हिंसा की घटनाएं सामने आने लगीं। पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा बलों के जवान पुलिस थाने के पास बने अवैध बंकरों को हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चला दीं। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की। इसी बीच चली गोली की चपेट में आने से महिला घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद शनिवार को कामजोंग और उखरल जिलों में हिंसा की कई घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में कम से कम पांच लोगों की मौत होने की सूचना है। चासाद गांव में भी आगजनी की घटनाएं हुईं, जिनमें 10 घर और 20 दुकानें जला दी गईं। हालांकि, अलग-अलग घटनाओं में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। हिंसा के दौरान उखरल जिले में याओलेन के निकट 40 वर्षीय संदीप राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, कामजोंग जिले के निंगचोउ गांव में दो नगा ग्रामीणों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कामजोंग जिले में कम से कम 14 घरों को जलाए जाने की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने चासाद पुलिस थाने के 400 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस बीच, कुकी संगठनों की ओर से कांगपोकपी जिले में बंद का आह्वान किए जाने से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

दिल्ली प्रदर्शन : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई, दूसरे दिन 100 से अधिक लोग हिरासत में

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर 2026। राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आह्वान पर हो रहा विरोध प्रदर्शन रविवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूसरे दिन में प्रवेश कर गया। खास बात यह है कि रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को कानून में निर्धारित उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत के इन सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद, पुलिस प्रशासन द्वारा आज जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।

जंतर-मंतर की ओर मार्च और भारी पुलिस बल की तैनाती : रविवार को प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न हिस्सों से जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिस दौरान कर्नाट प्लेस के इन सर्किल, राजीव चौक और आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास भारी गहमाहमी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की निर्धारित उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत के इन सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद, पुलिस प्रशासन द्वारा आज जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।



लागाया कि इसके पीछे देश में अराजकता फैलाने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अराजकता फैलाने के प्रयासों को देखकर चुप नहीं बैठ सकती। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। इसी के तहत शनिवार को अराजकता रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने न्यूनतम आवश्यक कदम उठाए। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि



फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), (एआईएसए) और क्रांतिकारी युवा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (केवाईएस) सहित कई छात्र संगठनों के

देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही कांग्रेस : प्रह्लाद जोशी

हुब्ली, 11 अक्टूबर 2026। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बहाने कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के हुब्ली में रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में शनिवार को किया गया प्रदर्शन कोई न्यायसंगत आंदोलन नहीं था बल्कि देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास था। जोशी ने कहा कि देश के सविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस और सीजेपी इस प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान लगभग तीन करोड़ मृत व्यक्तियों के नाम और तीन करोड़ दोहरी प्रविष्टियों तथा फर्जी मतदाताओं के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची में नहीं मिल रहे लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल किए जाएं। लेकिन इन नामों में मृत व्यक्तियों, दूसरे स्थानों पर जा चुके लोगों, फर्जी मतदाताओं और अवैध प्रवासियों के नाम भी शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में बनाए रखे जाने चाहिए क्या? जोशी ने कहा कि यदि कोई पात्र मतदाता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने नाम में सुधार करने का अवसर निर्वाचन आयोग ने दिया है।

केजरीवाल ने सरकार पर कसा हिटलर वाला तंज, कहा...प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा इस्तीफा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर 2026। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर के शासन से की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज दबाई जा रही है।

केजरीवाल ने दावा किया कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर राजधानी में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की तुलना जर्मनी की कार्रवाई और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी के हालात अप्रोषित आपातकाल से भी बदतर है।



दिपके की दादी के निधन का जिक्र कर पुलिस पर लगाए आरोप : आशुतोष रांका ने कहा कि अभिजीत की दादी का निधन हो गया। जब अभिजीत को इस बारे में बताया गया, तब भी दिल्ली पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। आशुतोष रांका ने कहा जब उन्हें उनकी मौत के बारे में बताया गया तो दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार किया। मुझे शर्म आती है कि इस देश की राजधानी की पुलिस ने इस तरह का व्यवहार किया। जब दिपके को उनकी दादी की मौत के बारे में बताया गया, तब भी दिल्ली पुलिस के जवान कैमरे और माइक लेकर वहां खड़े थे। उन्होंने इस घटना को भी तमाशा बनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि दिपके बार-बार बोलते रहे कि उनके माता-पिता बहुत जल्दी बेहला हो जाते हैं, ये हाट के मरीज हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें अपने कजन से बात करने दीजिए जो अभी गांव में मौजूद है। वह उससे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या हुआ लेकिन दिल्ली पुलिस का दिल नहीं पसीजा।



सूरजपुर में मां-बेटे की नृशंस हत्या

पहले मिला 18 वर्षीय बेटे का शव, 8 घंटे बाद बंद कमरे में मृत मिली शिक्षिका मां

सूरजपुर में मां-बेटे की सदिग्ध मौत से सनसनी,सड़क किनारे मिला बेटे का शव तो बंद मकान में मृत मिली शिक्षिका मां

पहले मिला छात्र बेटे का शव,फिर बंद मकान में मिली शिक्षिका मां की लाश,दो मौतों ने खड़े किए कई सवाल



महवीरपुर में छात्र का शव मिलने से खुला मामला,पर पड़ती पुलिस तो मृत मिली शिक्षिका मां
सड़क किनारे बेटे का शव, बंद मकान में मां की लाश-सूरजपुर में दो सदिग्ध मौतों ने हड़कंप
एक ही परिवार की दो मौतें,दो अलग-अलग अलग शव,परीक्षक टीम और डॉग स्क

-संवाददाता-
सूरजपुर,11 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में मां-बेटे की सदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, शनिवार,10 अक्टूबर को महावीरपुर के कालीघाट के पीछे सड़क किनारे मिट्टी में दबा एक युवक का शव मिला था,शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी,पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया,बाद में मृतक की पहचान सुजल बरेट उर्फ पिंकू के रूप में हुई,जो विश्रामपुर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया,जब सुजल की पहचान होने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, केशवनगर की ममता कॉलोनी स्थित किराए के मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था,ताला खुलवाकर अंदर जांच करने पर उसकी मां रजनी बरेट का शव मिला,रजनी सरकारी शिक्षिका थीं और सूरजपुर जिले के बेलटिकरी स्कूल में पदस्थ थीं,इस तरह एक ही परिवार के दो लोगों के शव अलग-अलग स्थानों पर मिलने से पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं, पुलिस दोनों की मौत के बीच संबंध,घटनाक्रम



और संभावित कारणों की जांच कर रही है। घटनास्थल और किराए के मकान से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्कॉयड की मदद ली जा रही है,फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों,घटना के पीछे की वजह और किसी संभावित आरोपी के संबंध में आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
महावीरपुर के कालीघाट के पास मिला था युवक का शव-जानकारी के अनुसार,शनिवार सुबह महावीरपुर के कालीघाट के पीछे सड़क किनारे मिट्टी में दबे युवक के पैर दिखाई देने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ,इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद मामला सदिग्ध माना गया,शव की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू किए,इसी बीच सुजल के परिजन और परिचित उससे संपर्क नहीं हो पाने के कारण चिंतित थे,मिडिया रिपोर्टों के अनुसार,सुजल और उसकी मां रजनी के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे थे,रजनी की स्कूल में अनुपस्थिति को लेकर उनकी

सहकर्मियों ने भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया था।
**शव की तस्वीर देखकर परिजनों ने की सुजल की पहचान-रजनी बरेट के मायके पक्ष के परिजन दोनों से संपर्क नहीं होने के कारण परेशान थे,शनिवार देर शाम रजनी के भाई और मां विश्रामपुर पहुंचे,वे मां-बेटे की गुमशुदगी की सूचना देने के लिए जयनगर थाना पहुंचे,इसी दौरान पुलिस ने महावीरपुर के पास मिले युवक के शव की तस्वीर दिखाई,परिजनों ने तस्वीर देखकर मृतक की पहचान सुजल बरेट उर्फ पिंकू के रूप में की,पहचान होने के बाद पुलिस के सामने यह पता लगाने की जरूरत और बढ़ गई कि सुजल की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसकी मां कहाँ है, इसके बाद पुलिस परिजनों को साथ लेकर केशवनगर स्थित ममता कॉलोनी के किराए के मकान पहुंची, वहां बाहर से ताला लगा हुआ था, मकान बंद होने और मां का कोई पता नहीं चलने के कारण पुलिस ने ताला खुलवाकर अंदर जांच करने का निर्णय लिया।
बंद मकान का ताला खुला तो अंदर मिला शिक्षिका का शव-सुजल की पहचान होने के बाद पुलिस जब उसके घर पहुंची,तो**



मकान में बाहर से ताला लगा था,ताला खुलवाकर अंदर प्रवेश करने पर रजनी बरेट का शव मिला,परिजनों ने शव की पहचान रजनी के रूप में की। उनके शरीर पर चोट के निशान होने की जानकारी भी सामने आई है, रात हो जाने के कारण पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया,रविवार सुबह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों,फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉयड की मौजूदगी में मकान की दोबारा जांच की गई, घर के अंदर शव मिलने और बेटे का शव दूसरे स्थान पर पाए जाने से मामला और गंभीर हो गया,अब पुलिस को यह पता लगाना है कि दोनों की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई, क्या दोनों घटनाएं एक ही समय के आसपास हुई या उनके बीच कोई अंतर था? क्या सुजल की मौत के पीछे कोई ऐसा घटनाक्रम है जिसका संबंध उसकी मां की मौत से हो सकता है? इन सवालों के जवाब जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे।
शिक्षिका थीं रजनी बरेट,कक्षा 12वीं में पढ़ता था सुजल-रजनी बरेट मूल रूप से बाराद्धर क्षेत्र की रहने वाली बताई गई हैं,वे सूरजपुर जिले के बेलटिकरी स्थित शासकीय स्कूल में शिक्षिका के रूप में पदस्थ थीं। उनका

बेटा सुजल विश्रामपुर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था,दोनों केशवनगर की ममता कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे, मां-बेटे की सदिग्ध मौत से परिवार और परिचितों के सामने अचानक गंभीर स्थिति पैदा हो गई,एक ओर छात्र का शव घर से दूर मिला, वहीं दूसरी ओर उसकी मां का शव बंद मकान के भीतर पाया गया,दोनों स्थानों की परिस्थितियां अलग होने के कारण पुलिस को प्रत्येक घटनास्थल के साक्ष्यों का अलग-अलग परीक्षण करने के साथ उनके बीच संभावित संबंध भी तलाशना होगा।

फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉयड ने संभाली जांच-मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉयड की सहायता ली,जांच दल ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। पुलिस दोनों की मौत के संभावित समय, घटनास्थल तक पहुंचने के रास्तों और घटना से जुड़े अन्य सुरागों की जांच कर रही है,कुछ लोगों के अनुसार दोनों के मोबाइल फोन बंद होने और युवक की स्कूटी मिलने की जानकारी भी सामने आई है,इन बिंदुओं की जांच में क्या भूमिका है, इस संबंध में अभी आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है,पुलिस की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर ही इन पहलुओं की पुष्टि की जा सकेगी।

मंत्री और विधायक भी पहुंचे,जांच के निर्देश-घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी के मौके पर पहुंचने की जानकारी दी गई,उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से जांच कर दोषियों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा,इस घटना को लेकर क्षेत्र में चिंता का माहौल है,हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को

आरोपी मानना या हत्या के पीछे किसी खास वजह का दावा करना उचित नहीं होगा, पुलिस को घटनास्थल से मिले साक्ष्यों,पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी है।

अब इन सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

- सुजल की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसका शव महावीरपुर के कालीघाट के पास कैसे पहुंचा?
- रजनी बरेट की मौत कब हुई और उनके किराए के मकान में बाहर से ताला किसने लगाया?
- दोनों की मौत के बीच क्या संबंध है?
- क्या घटनास्थलों से मिले साक्ष्य किसी एक घटनाक्रम की ओर संकेत करते हैं?
- क्या मोबाइल फोन,आसपास के मार्गों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारी से कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है?

जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी नजर

सूरजपुर में एक ही परिवार के मां-बेटे के शव अलग-अलग स्थानों पर मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों की मौत के कारणों और संभावित संबंध की जांच कर रही है,फॉरेंसिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच निष्कर्ष इस मामले में महत्वपूर्ण होंगे,फिलहाल मौत की परिस्थितियां सदिग्ध हैं और हत्या की आशंका की जांच जारी है, घटना के पीछे की वास्तविक वजह,घटनाक्रम और जिम्मेदार लोगों के संबंध में स्थिति पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर लालमुनि यादव ने शिवपुर-चरचा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए टोकी दावेदारी...

जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता,संगठन मंत्री बृजवासी तिवारी एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव योगेश शुक्ला के समक्ष सौंपा दावेदारी पत्र

-संवाददाता-
कोरिया,11 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां दुर्गा की आराधना और आशीर्वाद के साथ नगर पालिका शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं, इसी क्रम में लालमुनि यादव ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस संगठन के समक्ष दावेदारी पत्र सौंपा,उन्होंने जिला कांग्रेस कमिटी,कोरिया के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप गुप्ता,संगठन मंत्री बृजवासी तिवारी तथा प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव योगेश अकल के दो लोगों के शव अलग-अलग स्थानों पर मिलने से पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हुए नगर के विकास के लिए आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त

की, उनकी दावेदारी के केंद्र में जनता की सेवा, नगर की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने और माताओं-बहनों के सम्मान को मजबूत करने का संकल्प शामिल है।
जनसेवा और नगर विकास को बताया प्राथमिकता-लालमुनि यादव ने कहा कि जनता का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है,इसी विश्वास के सहारे वे नगर की सेवा और विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं,उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नगर के विकास के लिए प्रयास करना उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है, नगर पालिका अध्यक्ष का पद स्थानीय निकाय की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, नगर की सड़कें,स्वच्छता, पेयजल,प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाएं आम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं, ऐसे में



अध्यक्ष पद के दावेदारों के सामने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और नगर के समग्र विकास के लिए काम करने की चुनौती रहती है, लालमुनि यादव ने भी अपनी दावेदारी के माध्यम से सेवा और विकास को प्रमुख संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष रखी दावेदारी-लालमुनि यादव ने अपना दावेदारी पत्र जिला कांग्रेस कमिटी,कोरिया के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता,संगठन मंत्री बृजवासी तिवारी और प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव योगेश शुक्ला को सौंपा,संगठन के पदाधिकारियों के

समक्ष दावेदारी प्रस्तुत करना नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उनकी राजनीतिक पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है,नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए किसी भी दावेदार के चयन में संगठन की प्रक्रिया और पार्टी का अंतिम निर्णय अहम होगा, लालमुनि यादव ने अपनी दावेदारी रखकर कांग्रेस संगठन के सामने अपनी इच्छा और जनसेवा के संकल्प को प्रस्तुत किया है, अब आगे की प्रक्रिया में संगठन का निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा।

माताओं-बहनों के सम्मान का संकल्प-लालमुनि यादव ने अपने संदेश में माताओं-बहनों के सम्मान को भी विशेष प्राथमिकता दी,उन्होंने जनता के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के साथ वे आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं,उनके अनुसार, जनसेवा केवल राजनीतिक दावेदारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए,बल्कि आम नागरिकों की

अपेक्षाओं और जरूरतों को समझते हुए काम करने की भावना भी जरूरी है।

नवरात्रि के प्रथम दिन दावेदारी, संगठन के निर्णय पर नजर-नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर दावेदारी प्रस्तुत करने ने इस घटनाक्रम को शिवपुर-चरचा की स्थानीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है,लालमुनि यादव ने अपने कदम को राजनीतिक चर्चाओं को गति मिलने की संभावना है,अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठन आगे किस प्रकार निर्णय लेता है।



22 साल से इंसफ की आस,मुआवजे का इंतजार! अब हत्यारे को और राहत देने की राय पर भी पीड़ित परिवार का विरोध

पांच हत्याएं,उजड़ा बचपन और 22 साल का इंतजार,पीड़ित परिवार को मदद मिली या सिर्फ आश्वासन?

2017 में फांसी आजीवन कारावास में बदली,2026 में फिर क्षमा की चर्चा! चेर हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने जताया विरोध

हत्यारे की सजा पर फैसले हुए,पीड़ितों की मदद का हिसाब कौन देगा? 22 साल बाद भी परिवार के सवाल बरकरार

शिवपुर-चरवा में कांग्रेस नेता की अनोखी मांग...अनारक्षित सीट पर अनारक्षित वर्ग को ही मिले मौका

जिनका बचपन पांच हत्याओं ने उजाड़, वे आज भी मदद के इंतजार में! चेर हत्याकांड के पीड़ितों की दर्दमयी दास्तान

पीड़ित परिवार को राहत मिला या नहीं, जवाब गायब,दोषी को और राहत के सवाल पर परिवार की दृढ़ असहमति!

सरकारें बदलीं,22 साल गुजर गए,चेर हत्याकांड के पीड़ित परिवार की सहायता का हिसाब अब भी सवाललों में...

-रवि सिंह-

कोरिया, 11 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

पांच लोगों की हत्या,बचपन में माता-पिता का साथ छिन जाना,रिश्तेदारों के सहारे जिंदगी गुजराना और फिर वर्षों तक आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा—चेर हत्याकांड के जीवित बचे बच्चों की कहानी केवल एक जघन्य अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि अपराध के बाद पीड़ित परिवार के पुनर्वास और सरकारी जवाबदेही का भी सवाल है,करीब 22 साल बाद परिवार ने दैनिक घटती घटना को बताया कि उन्हें अब तक सम्मानजनक आर्थिक सहायता नहीं मिली है, परिवार ने एक और महत्वपूर्ण बात सामने रखी है,उनका कहना है कि वर्ष 2017 में सोनू सरदार का मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदले जाने के बाद,वर्ष 2026 में शासन स्तर पर उसे और राहत देने अथवा क्षमा किए जाने के संबंध में उनसे राय मांगी गई थी,परिवार के मुताबिक,उन्होंने इस पर अपनी असहमति जताई थी,इस पूरे प्रकरण में दो सवाल एक साथ खड़े होते हैं—पहला,इतने गंभीर अपराध के बाद जीवित बचे बच्चों की आर्थिक सहायता और पुनर्वास की वास्तविक स्थिति क्या है? दूसरा,जब सोनू सरदार की सजा 2017 में ही मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल चुकी थी,तो परिवार के अनुसार 2026 में उसे और राहत देने या क्षमा करने के संबंध में राय मांगने की प्रक्रिया किस आधार पर शुरू हुई और परिवार की असहमति के बाद क्या हुआ? इन सवाललों का जवाब भावनाओं या अनुमानों से नहीं, बल्कि संबंधित सरकारी पत्रों, आवेदन, भुगतान अभिलेखों और आधिकारिक पक्ष से सामने आना चाहिए।

यह वही मामला है,जिसमें 26 नवंबर 2004 की रात एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी,अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई चली,निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया, हाईकोर्ट ने उसकी पुष्टि की और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी,लेकिन बाद में दया याचिका के निपटारे में हुईं देशी सहित कानूनी आधारों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में सोनू सरदार का मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल दिया,पीड़ित परिवार के लिए यह घटनाक्रम केवल अदालत के फैसले का विषय नहीं था,यह उस उम्मीद से भी जुड़ा था,जिसके सहारे वे अपने परिजनों की हत्या के बाद न्याय की प्रतीक्षा

करते रहे,अब सूरजपुर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत से मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद चेर हत्याकांड की चर्चा फिर सामने आई है,इसी संदर्भ में जब चेर हत्याकांड के जीवित बचे बच्चों ने दैनिक घटती घटना से संपर्क कर अपनी स्थिति बताई,तो मामला केवल पुराने अपराध की याद नहीं रख,यह सवाल भी सामने आया कि इतने वर्षों में पीड़ित परिवार की सहायता, पुनर्वास और सरकारी जवाबदेही की स्थिति आखिर क्या रही?

26 नवंबर 2004: एक रात में पांच जिंदगियां खत्म,बच्चों से छिन गया परिवार-न्यायिक दस्तावेजों के अनुसार,26 नवंबर 2004 को शमीन/शमीम अख्तर,उनकी पत्नी रुकसाना बीबी,उनके बच्चे याकूब और राना तथा चालक असगर अली की हत्या कर दी गई थी, अभियोजन के अनुसार,आरोपी कबाड़ा बेचने के बहाने पहले घर आए थे और बाद में रुपये लूटने के उद्देश्य से लौटे,वारदात के दौरान परिवार की बच्ची शबाना किसी तरह वहां से निकलकर बची, अगले दिन घर में पांच लोगों के शव मिलने की जानकारी सामने आई,इस वारदात ने परिवार को पूरी त ह उजाड़

चली,राज्यपाल ने 8 अप्रैल 2013 और राष्ट्रपति ने 5 मई 2014 को दया याचिका खारिज कर दी थी,लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ,सोनू सरदार की ओर से दया याचिका के निपटारे में देशी और अन्य कानूनी आधारों पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई,28 जून 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, फैसले में दया याचिका के निपटारे में हुईं देशी को महत्वपूर्ण आधारों में शामिल किया गया था, यहां कानूनी स्थिति को स्पष्ट रखना जरूरी है, मृत्युदंड में बदलाव अदालत के फैसले के माध्यम से हुआ था,दया याचिका और सजा में बदलाव संवैधानिक तथा न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था,लेकिन इस कानूनी प्रक्रिया के बीच पीड़ित परिवार की भावनाएं और उनकी जिंदगी पर पड़े असर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,परिवार की पीड़ा यह है कि जिन पांच लोगों की हत्या ने उनका पूरा जीवन बदल दिया,उस मामले में मृत्युदंड की पुष्टि के बाद भी आखिरकार सजा आजीवन कारावास रह गई,उनके लिए यह एक अधूरी उम्मीद जैसा है।

सूरजपुर के फैसले के बाद चेर हत्याकांड फिर चर्चा में क्या पुराने मामले से सबक लिया जाएगा?

अक्टूबर 2026 में सूरजपुर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को मृत्युदंड और एक आरोपी को प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई,मृत्युदंड के मामलों में हाईकोर्ट की पुष्टि की कानूनी प्रक्रिया भी आवश्यक है,इस फैसले के बाद चेर हत्याकांड का संदर्भ फिर सामने आया,दोनों मामलों की परिस्थितियां और कानूनी प्रक्रिया अलग हैं, इसलिए उन्हें एक जैसा मानना उचित नहीं होगा,लेकिन इन मामलों के बीच एक व्यापक प्रश्न समान रूप से महत्वपूर्ण है—गंभीर अपराध के बाद पीड़ित परिवार और बचे हुए बच्चों की जिंदगी को संभालने की जिम्मेदारी कौन उठाता है? अदालत का फैसला अपराध और आरोपी की कानूनी जवाबदेही तय करता है,लेकिन पीड़ित परिवार के लिए उसके बाद भी कई कठिनाइयां बनी रह सकती हैं—आर्थिक संकट,शिक्षा और रोजगार की समस्या, सामाजिक सुरक्षा की कमी और लंबे समय तक मानसिक पीड़ा,ऐसे में पीड़ित सहायता व्यवस्था का उद्देश्य केवल आवेदन लेना नहीं,बल्कि पात्र लोगों तक वास्तविक मदद पहुंचाना भी होना चाहिए,चेर हत्याकांड के जीवित बचे बच्चों की ओर से उठायी गया सवाल इसी व्यापक जिम्मेदारी की याद दिलाता है,यदि किसी परिवार ने दशकों पहले सहायता मांगी थी और बाद में भी आवेदन दिए,तो उन आवेदनों की स्थिति का एक समेकित विवरण सार्वजनिक होना चाहिए,इससे न केवल परिवार को जवाब मिलेगा,बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि पीड़ित सहायता से जुड़ी सरकारी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची।

अनुभव परिवार का नजरिया है, वहीं अदालत का फैसला अपने कानूनी आधारों पर दिया गया था।

2026 में फिर राहत या क्षमा का सवाल? परिवार बोला

हम सहमत नहीं...मृतक की बेटी शबाना खातून ने दैनिक घटती-घटना ने दैनिक घटती-घटना को बताया कि वर्ष 2017 में सजा आजीवन कारावास में बदले जाने के बाद वर्ष 2026 में शासन स्तर से सोनू सरदार को और राहत देने या क्षमा किए जाने के संबंध में उनसे राय मांगी गई थी,उनसे पूछा गया था कि क्या वे आरोपी को क्षमा करना चाहते हैं,परिवार का कहना है कि उन्होंने इस पर सहमति नहीं जताई और विरोध दर्ज कराया,परिवार की पीड़ा का आधार समझना जरूरी है,जिस वारदात में उनके पांच परिजनों की हत्या हुई,उसने उनके बचपन और भविष्य को बदल दिया,वे वर्षों तक रिश्तेदारों के सहारे रहे और आज भी आर्थिक सहायता को लेकर सवाल उठ रहे हैं,ऐसे में परिवार के मुताबिक,जब 2017 में मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल गया था और फिर 2026 में और राहत या क्षमा के संबंध में राय मांगी गई,तो उन्होंने अपनी असहमति जताना उचित समझा, उनका सवाल है कि जिस अपराध ने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया,उसमें आरोपी को और राहत देने के सवाल पर वे सहमत कैसे

अदालतों में मृत्युदंड बरकरार, फिर 2017 में सजा आजीवन कारावास में बदली

चेर हत्याकांड में सोनू सरदार के खिलाफ मुकदमा चला,न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, सत्र न्यायालय ने 27 फरवरी 2008 को मृत्युदंड सुनाया,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 8 मार्च 2010 को इसकी पुष्टि की और सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2012 को अपील खारिज करते हुए मृत्युदंड बरकरार रखा,इसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका की प्रक्रिया

हो सकते हैं? परिवार की यह भावना उनके अपने अनुभव और पीड़ा से जुड़ी है,हालांकि,यहां एक कानूनी अंतर स्पष्ट करना जरूरी है,क्षमा,सजा में परिवार और समयपूर्व रिहाई अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं,इसलिए 2026 में आए कथित पत्र वहक में किस प्रक्रिया का उल्लेख था,यह मूल पत्र देखकर ही निश्चित किया जा सकता है,परिवार की सदस्य शबाना का कहना है कि उनसे राय मांगी गई थी,अब मुख्य सवाल यह है कि 2026 में शासन स्तर पर किस प्रकार की राहत पर विचार किया जा रहा था? क्या वह क्षमा,सजा में परिवार या समयपूर्व रिहाई से संबंधित प्रस्ताव था? परिवार की असहमति दर्ज की गई या नहीं? और संबंधित प्राधिकारी ने आगे क्या निर्णय लिया?

हमें मदद नहीं मिली...

बच्चों ने घटती-घटना को बताई अपनी पीड़ा- इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति और सहायता का है, जीवित बचे बच्चों ने दैनिक घटती-घटना को बताया कि उन्हें अब तक सम्मानजनक आर्थिक सहायता नहीं मिली,उनका कहना है कि माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या के बाद उन्हें दूसरों के सहारे जीवन बिताना पड़ा, लेकिन इतने वर्षों में उनकी जिंदगी को दोबारा संभालने के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता नहीं मिली,परिवार की इस बात को केवल मौखिक दावे तक सीमित मानकर छोड़ देना भी उचित नहीं होगा,उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि सहायता के लिए पहले भी आवेदन दिए गए थे, वर्ष 2005 के आसपास भेजे गए पत्रों में बच्चों की स्थिति और आर्थिक मदद की आवश्यकता बताई गई थी,बाद में शबाना खातून की ओर से भी सहायता की मांग की गई, वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए आवेदनों में परिवार ने आर्थिक सहायता नहीं मिलने की बात लिखी थी,ये आवेदन इस बात का दस्तावेजी संकेत हैं कि परिवार ने सहायता की मांग उठाई थी। हालांकि,इनसे अपने आप यह अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं होता कि किसी भी सरकारी विभाग या योजना से कभी कोई राशि नहीं मिली,यह जानने के लिए जिला प्रशासन,पुलिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित विभागों के भुगतान अभिलेखों की जांच जरूरी है,लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि यदि परिवार को सहायता मिली थी, तो कितनी मिली,कब मिली,किस योजना के तहत मिली और क्या वह पीड़ितों की जरूरतों के अनुरूप थी? और यदि सहायता नहीं मिली या प्रक्रिया अधूरी रह गई,तो इतने वर्षों तक ऐसा क्यों हुआ?

2022 में आवेदन,2023 में दस्तावेजों की प्रक्रिया-फिर आगे क्या हुआ?

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार,शबाना खातून ने वर्ष 2022 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकूठपुर के समक्ष आर्थिक सहायता की मांग रखी थी,आवेदन में उन्होंने परिवार के सदस्यों की हत्या,बचपन में माता-पिता के खोने और आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए मदद मांगी थी,इसके बाद वर्ष 2023 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बैकूठपुर थाने को पत्र भेजे जाने का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है, पत्र में शबाना खातून को पहचान और संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया के लिए उपस्थित कराने का अनुरोध किया गया था, इससे यह संकेत मिलता है कि आवेदन के बाद कम से कम कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ी

प्रशासन और शासन से सीधे सवाल- पीड़ित परिवार के दावों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित शासन विभागों से निम्न सवालों के जवाब अपेक्षित हैं-

- वर्ष 2005 के आसपास पीड़ित परिवार की ओर से आर्थिक सहायता के लिए दिए गए आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई?
- शबाना खातून के वर्ष 2022 के आवेदन पर क्या निर्णय लिया गया?
- वर्ष 2023 में दस्तावेजों और पहचान की प्रक्रिया के लिए पत्र भेजे जाने के बाद मामला किस स्थिति में पहुंचा?
- क्या परिवार को पीड़ित प्रतिकर या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई? यदि हां,तो कितनी राशि और किस तारीख की भुगतान किया गया?
- यदि सहायता नहीं दी गई, तो उसका कारण क्या था? क्या परिवार को लिखित रूप से जानकारी दी गई?
- परिवार के अनुसार वर्ष 2026 में सोनू सरदार को और राहत देने या क्षमा किए जाने के संबंध में राय मांगी गई थी,क्या शासन या संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में ऐसा कोई पत्र है?
- यदि पत्र जारी हुआ था, तो वह किस प्रक्रिया से संबंधित था—क्षमा, सजा में परिवार या समयपूर्व रिहाई?
- परिवार की असहमति का क्या रिकॉर्ड बनाया गया और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई?
- क्या परिवार की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक स्थिति की समीक्षा कर उन्हें लागू नियमों के तहत किसी सहायता या पुनर्वास योजना से जोड़ने की आवश्यकता है?

न्याय का अर्थ केवल सजा नहीं,उजड़ी जिंदगी को सहारा देना भी है...चेर हत्याकांड के 22 वर्ष बाद यह मामला एक बार फिर समाज और प्रशासन के सामने एक बुनियादी सवाल रखता है, पांच लोगों की हत्या के बाद जो बच्चे बचे,उन्होंने अपने परिजनों के बिना जीवन बिताया,अदालतों में मुकदमा चला,मृत्युदंड की पुष्टि हुई और बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा आजीवन कारावास में बदल गई,लेकिन परिवार की ओर से आर्थिक सहायता को लेकर उठायी गया सवाल अब भी स्पष्ट जवाब मांगता है, पीड़ित परिवार की मांग को केवल पुराने मामले की पुनरावृत्ति मानकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यदि उन्हें सहायता नहीं मिली,तो यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। यदि सहायता मिली, तो उसका पूरा विवरण सामने आना चाहिए,यदि कोई प्रक्रिया अधूरी रह गई,तो उसे पूरा करने के लिए संबंधित विभाग को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अपराध के बाद न्याय की लड़ाई केवल अदालत के फैसले पर खत्म नहीं होती,जिन बच्चों का बचपन छिन गया,जिनके सिर से माता-पिता का साथ उठा गया और जिन्होंने दूसरों के सहारे जिंदगी आगे बढ़ाई,उनके लिए सरकारी संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, चेर हत्याकांड का सबसे बड़ा अनुरांतरित सवाल यही है—आरोपी की सजा पर वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चली, लेकिन पीड़ित परिवार की सहायता की स्थिति का स्पष्ट और सार्वजनिक हिसाब अब तक सामने क्यों नहीं है? अब जरूरत केवल पुराने जख्मों को याद करने की नहीं, बल्कि रिकॉर्ड की जांच कर पीड़ित परिवार को ठोस जवाब देने की है, न्याय केवल अपराधी को सजा सुनाने से जुड़ा प्रश्न नहीं है, अपराध के बाद बिखर गए जीवन को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी भी व्यवस्था के सामने रहती है।

थी,लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों से ये स्पष्ट नहीं है कि उस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या हुआ, क्या पीड़ित मुआवजा निर्धारित किया गया? क्या पात्रता का परीक्षण पूरा हुआ? क्या कोई राशि स्वीकृत हुई? यदि स्वीकृत हुई तो भुगतान हुआ या नहीं? यदि आवेदन लंबित रहा तो उसका कारण क्या था? यही वह बिंदु है जहां प्रशासन की जवाबदेही जरूरी हो जाती है, किसी आवेदन पर पत्राचार होना और पीड़ित परिवार तक वास्तविक सहायता पहुंचाना दो अलग-अलग बातें हैं,पीड़ित परिवार को प्रक्रिया की जानकारी देना,उसे आवश्यक दस्तावेज जुटाने में सहायता करना और पात्रता के अनुरूप लाभ दिलाना संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी का हिस्सा है।

सरकारें बदलीं,लेकिन पीड़ित परिवार की सहायता पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं?

चेर हत्याकांड को हुए करीब 22 वर्षों बाद चुके हैं,इस दौरान राज्य में सरकारें बदलीं, प्रशासनिक अधिकारी बदले और समय के साथ योजनाएं तथा प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ीं, लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से आर्थिक सहायता को लेकर सवाल उठना बताता है कि

इस मामले की मौजूदा स्थिति की समीक्षा जरूरी है,यह किसी एक सरकार या एक अधिकारी पर बिना रिकॉर्ड के आरोप लगाने का विषय नहीं है, बल्कि यह पता लगाने का सवाल है कि अलग-अलग समय पर परिवार की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए? वर्ष 2005 के पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई? बाद के आवेदनों का क्या हुआ? 2022 में विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने मामला आने के बाद क्या निर्णय लिया गया? 2023 में दस्तावेजों की प्रक्रिया के बाद कोई भुगतान या अन्य सहायता स्वीकृत हुई या नहीं? यदि सहायता दी गई थी,तो प्रशासन को उसका विवरण सामने रखना चाहिए,यदि पात्रता में कोई कमी थी,तो परिवार को उसका कारण और उपलब्ध विकल्प बताए जाने चाहिए,और यदि आवेदन किसी स्तर पर लंबित रह गया,तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकारी सहायता को लेकर सवाल उठाना किसी पक्ष पर राजनीतिक आरोप लगाने से अलग है,यह पीड़ित परिवार के अधिकारों और सरकारी प्रक्रिया की पारदर्शिता का सवाल है, इतने गंभीर अपराध के बाद बचे हुए बच्चों को वर्षों तक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए भटकना पड़े, तो व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है।



धान कम मिला तो जांच हुई,एफआईआर का आदेश हुआ फिर शॉर्टेज शून्य कैसे ?

सावारावा में 10 करोड़ से अधिक के धान का हिसाब उलझा,धान कम मिला,जांच हुई,कलेक्टर ने लिखा एफआईआर...फिर सरकारी हिसाब में सब ठीक कैसे?

सावारावा में 32,838 क्विंटल धान कम, कलेक्टर ने एफआईआर के लिए लिखा, फिर आदेश की फाइल कहाँ गई?

कलेक्टर के आदेश की अनुपालना, एफआईआर और बाद के स्टॉक सत्यापन पर उठे गंभीर सवाल

पहले 32 हजार क्विंटल कम,फिर शॉर्टेज शून्य! सावारावा में धान की 'जादुई वापसी' पर सवाल

जांच में धान गायब,आदेश में एफआईआर फिर फाइल भी गायब? सावारावा का सिस्टम सवालों में...

धान की 82 हजार बोरी कम मिली, कलेक्टर ने कार्रवाई लिखी,फिर किसने कहा 'सब ठीक है'?

कागज में धान का पखड़, मौके पर आया,कलेक्टर का आदेश भी फाइलों में दबा?

82,095 बोरी का अंतर,10.17 करोड़ की गणना,जांच दल ने पकड़ी कमी,अब सवाल—अगर बाद में शॉर्टेज शून्य हुआ तो धान आया कहाँ से...?दी गई जांच एवं उपचार की सुविधा

—ऑकर पाण्डेय—
सूरजपुर/सावारावा, 11 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी धान खरीदी में पारदर्शिता के नाम पर नियमों की लंबी सूची है,ऑनलाइन रिकॉर्ड है, भौतिक सत्यापन है, समितियाँ हैं,बैंक है, खाद्य विभाग है,सहकारिता विभाग है,प्रशासन है और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक तक का इस्तेमाल किया जा रहा है,लेकिन आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्र सावारावा की कहानी इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही है,जिसका जवाब अब केवल धान की बोरियों से नहीं,बल्कि सरकारी आदेश की अनुपालन पहेल से देना पड़ेगा।

2025-26 की धान खरीदी के दौरान सावारावा केंद्र में उच्च स्तरीय जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया,जांच दल में ओड़ुगी-भैयाथान क्षेत्र के तहसीलदार,नायब तहसीलदार, खाद्य विभाग के अधिकारी,जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ओड़ुगी शाखा प्रबंधक तथा एसडब्ल्यूसी विश्रामपुर के विशेषज्ञ कर्मचारी शामिल थे,जांच में ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुकाबले मौके पर भारी मात्रा में धान कम पाया गया,उपलब्ध जांच प्रतिवेदन के अनुसार 65,813.60 क्विंटल ऑनलाइन स्टॉक के मुकाबले केवल 32,975.60 क्विंटल धान भौतिक रूप से उपलब्ध मिला, अंतर 32,838 क्विंटल यानी 82,095 बोरी बताया गया। 3,100 प्रति क्विंटल की दर से इसकी अनुमानित राशि 10,17,97,800 बैटरी है,यहीं से कहानी खत्म नहीं होती,असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है।

जांच हुई तो धान कम था, अब सवाल-फिर धान आया कहाँ से?

सावारावा प्रकरण का सबसे सीधा सवाल यही है की 1 फवरी 2026 को जब जांच टीम पहुंची, तब रिकॉर्ड में मौजूद धान के मुकाबले 32,838 क्विंटल धान कम था,जांच हुई, स्टॉक की गणना हुई, अंतर दर्ज हुआ, रिपोर्ट तैयार हुई, मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा, और 10 फवरी

2026 को कलेक्टर कार्यालय से खरीदी प्रभारी रिजवान अंसारी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज कराने के संबंध में कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया,अब सवाल यह है कि उसके बाद क्या हुआ? यदि कार्रवाई हुई तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? यदि एफआईआर दर्ज हुई तो अपराध क्रमांक क्या है? यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कलेक्टर कार्यालय के पत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि बाद में धान की कमी शून्य अथवा नगण्य हो गई तो वह धान आखिर आया कहाँ से? यही वह सवाल है जो पूरे मामले को सामान्य स्टॉक अंतर से उठाकर प्रशासनिक जवाबदेही के केंद्र में खड़ा करता है।

कलेक्टर का आदेश क्या सिर्फ कागज था?

सबसे आश्चर्यजनक पहलू यही है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार कलेक्टर कार्यालय ने कार्रवाई के लिए बाकायदा पत्र जारी किया था, पत्र में सावारावा केंद्र में हुई जांच और स्टॉक के भारी अंतर का उल्लेख करते हुए खरीदी प्रभारी रिजवान अंसारी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज कराने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन अब यदि उस आदेश के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई,तो सवाल उठना स्वाभाविक है क्या कलेक्टर का आदेश केवल पहेल में दर्ज करने के लिए था? क्या आदेश का पालन करने की कोई समरस्यीमा और निगरानी व्यवस्था नहीं थी? क्या संबंधित शाखा ने कलेक्टर कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट दी? यदि दी तो उसमें क्या लिखा गया? यदि नहीं दी तो क्यों नहीं दी गई? और सबसे बड़ा सवाल— कलेक्टर के आदेश के बाद सट्टकरी प्रक्रिया आखिर किस टेबल पर जाकर रुक गई? यही वह बिंदु है जहाँ आदेश जारी हुआ और आदेश का पालन हुआ के बीच का अंतर सामने आता है।

और विडंबना देखिए...

जांच दल में बैंक शाखा प्रबंधक भी शामिल थे-यह मामला इसलिए भी गंभीर प्रश्न पैदा करता है क्योंकि उपलब्ध जांच प्रतिवेदन के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ओड़ुगी शाखा प्रबंधक जांच दल का हिस्सा थे,यानी जिस भौतिक सत्यापन में स्टॉक का भारी अंतर सामने आया,उस जांच प्रक्रिया में बैंक प्रतिनिधि की मौजूदगी भी थी, इसके बाद कलेक्टर कार्यालय ने उसी खरीदी प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज कराने की कार्रवाई के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र भेजा,यानी घटनाक्रम कुछ इस तरह बनता है—जांच दल में शामिल अधिकारी ? स्टॉक की कमी सामने आई ? जांच रिपोर्ट बनी ? कलेक्टर कार्यालय ने कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया ? अब सवाल है कि उस आदेश का अनुपालन कहाँ हुआ? यदि कार्रवाई हुई है तो दस्तावेज सामने आने चाहिए,यदि नहीं हुई तो कारण सामने आना चाहिए,यही पारदर्शिता है।

पहले कम दिखा,फिर पूरा कैसे हुआ?

यही असली जांच का सवाल-मान लीजिए किसी दूसरे सत्यापन में बाद में स्टॉक पूरा पाया गया, तो यह अपने आप में अच्छी बात हो सकती है—लेकिन तब एक दूसरा सवाल पैदा होगा, वह अतिरिक्त धान आया कहाँ से? किस तारीख को आया? किस वाहन से आया? किस गोदाम या मिला से आया? उसकी तौल कहाँ हुई? किस गेट एंट्री में दर्ज हुआ? किस स्टॉक रजिस्टर में दर्ज हुआ? ऑनलाइन पोर्टल में किस तारीख को स्टॉक बदला? किस अधिकारी ने उसका सत्यापन किया? क्या उस समय सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था? क्या परिवहन दस्तावेज उपलब्ध हैं? क्या तौल पंचियां उपलब्ध हैं? और क्या यह पूरा रिकॉर्ड उस 1 फवरी की जांच रिपोर्ट से मेल खाता है? अगर ये दस्तावेज हैं तो सामने आने चाहिए,और यदि दस्तावेज नहीं हैं,तो फिर



सहकारिता में पहुंच की चर्चा लेकिन जांच दस्तावेज से हो...

क्षेत्र में यह सवाल उठाना जा रहा है कि क्या सहकारिता व्यवस्था में प्रभाव या पहुंच के कारण कार्रवाई प्रभावित हुई, लेकिन किसी व्यक्ति या अधिकारी पर ऐसा आरोप बिना प्रमाण लगाया उचित नहीं होगा, हां, यह जरूर पृष्ठ जा सकता है कि यदि कलेक्टर कार्यालय से कार्रवाई के लिए पत्र जारी हुआ था और फिर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी,तो पहेल की मूवमेंट सार्वजनिक क्यों नहीं है? किस अधिकारी ने क्या किया? किस पत्र भेजा? किसने प्राप्त किया? किसने जवाब दिया? किस तारीख को जवाब दिया? क्या पुलिस को दस्तावेज भेजे गए? क्या एफआईआर दर्ज हुई? अगर नहीं हुई तो किस आधार पर नहीं हुई? यही वे सवाल हैं जिनसे कथित मैनेजमेंट की चर्चा को प्रमाण या खंडन में बदला जा सकता है।

क्या कलेक्टर के आदेश की अवहेलना हुई? यह जांच का विषय क्यों नहीं होना चाहिए?

कलेक्टर कार्यालय के उपलब्ध पत्र में खरीदी प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज कराने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश का उल्लेख है, इसलिए यदि उस आदेश का पालन नहीं हुआ,तो यह सिर्फ धान खरीदी का मामला नहीं रह जाता,यह प्रशासनिक आदेश के अनुपालन का प्रश्न बन जाता है, और अगर आदेश का पालन हुआ है तो सरकारी उसका रिकॉर्ड सामने रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एफआईआर हुई है तो अपराध क्रमांक बताइए, एफआईआर नहीं हुई तो कारण बताइए,जांच आगे बढ़ी है तो केस डायरी/जांच की स्थिति बताइए, स्टॉक दोबारा सत्यापित हुआ है तो रिपोर्ट बताइए, कमी समाप्त हुई है तो धान की आवक का हिसाब बताइए,यही पारदर्शिता है।

32,838 क्विंटल के अंतर के बाद शून्य शॉर्टेज तक पहुंचने की कहानी खुद एक स्वतंत्र जांच का विषय बन जाती है।

क्या जांच को समय मिला था? सवाल है,प्रमाण नहीं

यहां एक बेहद गंभीर सवाल उठाना जा रहा है—क्या संबंधित व्यवस्था को बाद में स्टॉक पूरा करने का समय मिला? लेकिन इस बिंदु को अभी निष्कर्ष के रूप में नहीं कहा जा सकता, इसे प्रमाणित करने के लिए तारीखवार रिकॉर्ड की जरूरत होगी,यदि 1 फवरी को स्टॉक कम था और बाद की किसी तारीख को पूरा हो गया,तो उन दोनों तारीखों के बीच की पूरी गतिविधि जांचनी होगी,1 फवरी का स्टॉक रिकॉर्ड,उसके बाद की आवक,परिवहन पंचियां,वाहनों की गेट एंट्री,तौल रिकॉर्ड,बारदाना रिकॉर्ड,ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव,सीसीटीवी फुटेज,पुनः भौतिक सत्यापन, यही रिकॉर्ड बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ, सवाल उठाना आसान है,लेकिन इस सवाल के जवाब दस्तावेज से निकलना चाहिए।

खाली बारदाने भी कहानी में मौजूद हैं...

जांच में केवल धान की कमी ही नहीं मिली थी, खाली बारदानों की स्थिति भी दर्ज की गई, भौतिक सत्यापन में 40,750 खाली बारदाने पाए गए, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 32,789 बारदाने दर्ज बताए गए। यानी खाली बारदानों में भी 7,961 नग का अंतर था,जब धान की मात्रा और बारदानों की संख्या दोनों में अंतर सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि खरीदी केंद्र का स्टॉक प्रबंधन किस तरीके से किया

अंतिम सवाल: कलेक्टर का आदेश मजबूत था या व्यवस्था उससे भी मजबूत?

सावारावा की कहानी में सबसे बड़ा व्यंग्य शायद यही है की जांच दल गया,धान गिना,धान कम मिला,जोरियां कम मिलीं,रिपोर्ट बनी,रिपोर्ट में अंतर दर्ज हुआ,कलेक्टर कार्यालय ने कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया,फिर भी आज सवाल वहीं खड़ा है आगे क्या हुआ? अगर आदेश का पालन हुआ तो उसका दस्तावेज सामने क्यों नहीं? अगर नहीं हुआ तो किसके स्तर पर रुका? अगर कमी बाद में समाप्त हुई तो धान आया कहाँ से? और अगर कमी शून्य कर दी गई तो किस जांच के आधार पर? सावारावा में असली सवाल अब 32,838 क्विंटल धान का ही नहीं है। सवाल यह है कि जांच में पकड़ी गई कमी के बाद सरकारी व्यवस्था ने क्या किया,क्योंकि अगर जांच में धान कम पाया गया था, तो उसका हिसाब होना चाहिए,अगर कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए लिखा था,तो कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर बाद में स्टॉक पूरा दिखा दिया गया,तो उस धान के आने का भी उतना ही स्पष्ट हिसाब होना चाहिए जितना उसके आयाब होने का,यही वह बिंदु है जहाँ से सावारावा की जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए—धान से लेकर पहेल तक,स्टॉक से लेकर एफ आईआर तक और जांच प्रतिवेदन से लेकर अंतिम कार्रवाई तक, क्योंकि सवाल यह नहीं कि कागज में क्या लिखा गया था...सवाल यह है कि 1 फवरी को जो धान मौके पर नहीं था,वह बाद में अगर मौजूद हुआ तो आया कहाँ से—और 10 फवरी को कलेक्टर ने जिस कार्रवाई के लिए लिखा था,वह आखिर पहुंची कहाँ तक?

सावारावा प्रकरण में अब सवाल यह भी उठता है कि यदि केंद्र पर ऐसी निगरानी व्यवस्था सक्रिय थी,तो इतने बड़े स्टॉक अंतर के दौरान उसका रिकॉर्ड क्या कहता है, क्या कैमरा लगातार सक्रिय था? क्या उसका डेटा सुरक्षित है? क्या 1 फवरी के आसपास की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है? क्या उसमें धान की आवक-जावक दिखाई देती है? क्या परिवहन और स्टॉक की स्थिति का मिलान कैमरा रिकॉर्ड से किया गया? यदि कैमरा लगा था लेकिन इस मामले को वास्तविक स्थिति पकड़ने में उसकी भूमिका सामने नहीं आई,तो उसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठे,लेकिन यहाँ भी निष्कर्ष निकालने के बजाय कैमरा डेटा की स्वतंत्र जांच जरूरी है, क्योंकि कैमरा लगा होना और कैमरे की निगरानी प्रभावी होना—दो अलग बातें हैं।

सहकारिता विभाग की भूमिका भी सवालों से बाहर नहीं

सावारावा का मामला केवल एक खरीदी प्रभारी तक सीमित करके समाप्त कर देना पूरे घटनाक्रम को छेड़ा कर देगा, क्योंकि धान खरीदी सहकारी समितियों की व्यवस्था से जुड़ी है,रिकॉर्ड, समिति संचालन,बैंकिंग व्यवस्था, खरीदी प्रक्रिया,स्टॉक और प्रशासनिक निगरानी—इन सभी स्तरों पर अलग-अलग जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे में यदि एक केंद्र पर 32,838 क्विंटल का अंतर सामने आया,तो सवाल यह भी होना चाहिए कि नियमित निगरानी के दौरान यह अंतर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या समय-समय पर स्टॉक मिलान हुआ? क्या समिति के रिकॉर्ड की जांच हुई? क्या ऑनलाइन और भौतिक स्टॉक का मिलान किया गया? यदि हुआ तो उस समय अंतर क्यों नहीं पकड़ा गया? और यदि नहीं हुआ तो निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य क्या रह गया?

पहले चोरी करो,पकड़े जाओ तो सामान वहीं रख दो...

क्या व्यवस्था इतनी आसान है?—यही वह व्यंग्य है जो सावारावा प्रकरण सबसे तीखे तरीके से सामने रखता है,यदि किसी सरकारी स्टॉक में भारी कमी मिलती है, जांच होती है,कार्रवाई के लिए आदेश निकलता है और उसके बाद यदि वही कमी किसी तरह समाप्त हो जाती है,तो क्या केवल इसलिए मामला खत्म हो जाना चाहिए? क्या सरकारी स्टॉक की कमी का हिसाब बाद में माल रखकर बराबर किया जा सकता है? क्या जांच के समय उपलब्ध नहीं था तो बाद में उपलब्ध कराना पर्याप्त है? क्या कार्रवाई से बचने के लिए बाद का स्टॉक पहले की कमी को स्वतः समाप्त कर देता है? बिल्कुल नहीं—अगर ऐसा हुआ है तो इसकी वैधता और प्रक्रिया दस्तावेजों से जांची जानी चाहिए,क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड कोई ऐसा ब्लैकबोर्ड नहीं है जिसे गलती पकड़े जाने के

बाद मिटाकर फिर से साफकर दिया जाए।

अब सबसे बड़ा सवाल-शून्य शॉर्टेज आया कहाँ से?

सावारावा मामले की पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, 1 फवरी 2026 को जांच में 32,838 क्विंटल की कमी थी,यदि बाद में यह कमी शून्य दिखाई गई है,तो यह अपने आप में जांच का विषय है,कमी शून्य कैसे हुई? किस रिकॉर्ड के आधार पर हुई? किस अधिकारी ने सत्यापित किया? किस तारीख को सत्यापित किया? क्या वही जांच टीम दोबारा गई? क्या अलग टीम गई? क्या धान की वास्तविक भौतिक गिनती हुई? क्या बाद में धान आया? अगर आया तो कहाँ से आया? किसके वाहन से आया? किस रजिस्टर में दर्ज हुआ? क्या ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसका समय दर्ज है? क्या सीसीटीवी में उसकी पुष्टि होती है? जब तक इन सवालों के जवाब दस्तावेजों से नहीं मिलते,तब तक शून्य शॉर्टेज केवल एक नया सवाल है,समाधान नहीं।

सावारावा प्रकरण में अब जांच का दायरा बढ़ना चाहिए...

अब केवल यह जांचना पर्याप्त नहीं होगा कि 32,838 क्विंटल धान कम क्यों था,जांच को यह भी देखना चाहिए कि 1 फवरी की जांच के बाद स्टॉक में क्या परिवर्तन हुआ,10 फरवरी के कलेक्टर आदेश पर क्या कार्रवाई हुई,एफआईआर की प्रक्रिया किस स्तर तक गई,संबंधित बैंक शाखा ने क्या किया, पुलिस को क्या दस्तावेज मिले, सहकारिता विभाग ने क्या कार्रवाई की, बाद में कोई पुनः सत्यापन हुआ या नहीं,यदि हुआ तो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, यदि कमी समाप्त हुई तो धान की आवक का दस्तावेजी स्रोत क्या है, और यदि कमी समाप्त नहीं हुई तो 10.17 करोड़ के अनुमानित अंतर का वर्तमान हिसाब क्या है।

सवाल अब रिजवान अंसारी से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम से है

रिजवान अंसारी का नाम कलेक्टर कार्यालय के 10 फवरी 2026 के पत्र में खरीदी प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज कराने की कार्रवाई के संदर्भ में आता है,इसका अर्थ यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गए, अंतिम जिम्मेदारी जांच और विधिक प्रक्रिया से तय होगी,लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर पैदा होता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर कार्यालय ने पत्र जारी किया, उस कार्रवाई का अंतिम परिणाम क्या हुआ? यह सवाल किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए है,क्योंकि यदि कार्रवाई हुई है तो रिकॉर्ड सामने आना चाहिए,और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उसके कारण भी सामने आने चाहिए।

